भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1613

जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

नदियों में औद्योगिक बहिस्त्राव छोड़ा जाना

1613. श्री चरनजीत सिंह चन्नीः

श्री अरुण गोविलः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सतलुज और व्यास नदियों में विशेषकर अशोधित मलजल और औद्योगिक बहिस्त्रावों के संबंध में प्रदूषण के उच्च स्तर को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;

(ख) पंजाब में नदियों को और प्रदूषित होने से रोकने के लिए मल-जल शोधन क्षमता में वृद्धि करने के लिए सरकार की विस्तृत योजना क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मेरठ और उसके आस-पास के क्षेत्रों में नदी और भूमि पर अशोधित बहिस्त्राव को बहाने से रोकने के लिए कोई योजना बनाई है;

(घ) क्या उक्त नदी में औद्योगिक बहिस्त्राव छोड़े जाने से यह मेरठ में काली नदी के नाम से बदनाम हो रही है जबकि इसका पानी अपने उद्गम स्थल पर साफ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने की संभावना है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): देश में नदियों के प्रदूषण आकलन पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की वर्ष 2022 में प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब राज्य में सतलुज नदी पर एक खंड सहित 279 नदियों पर 311 प्रदूषित क्षेत्रों को चिन्हित किया गया था। व्यास नदी पर कोई भी खंड प्रदूषित नहीं पाया गया था।

सतलुज नदी लुधियाना शहर से नगरपालिका, औद्योगिक, डेयरी और अन्य अपशिष्टों को ले जाने वाले बुड्ढ़ा नाला के डिस्चार्ज से प्रदूषित हो जाती है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सूचित किया गया है कि प्रदूषण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए, पंजाब राज्य सरकार ने एक बुड्ढा नाला संरक्षण परियोजना शुरू की है जिसमें मुख्य रूप से लुधियाना में डेयरी परिसरों से अपशिष्ट जल के उपचार के लिए 225 और 60 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) के सीवेज उपचार संयंत्रों (एसटीपी) की

स्थापना, चार एसटीपी का पुनर्वास, 3.75 एमएलडी और 2.25 एमएलडी क्षमता के दो बहिस्त्राव उपचार संयंत्र शामिल हैं।

लुधियाना में लघु/मध्यम स्तर के रंगाई उद्योगों के समूहों से औद्योगिक बहिस्त्राव की रोकथाम और नियंत्रण के लिए, 40 एमएलडी, 50 एमएलडी और 15 एमएलडी क्षमता के सामान्य बहिस्त्राव उपचार संयंत्रों को चालू किया गया है।

नदियों के संरक्षण के लिए, यह मंत्रालय गंगा बेसिन में नदियों के लिए नमामि गंगे की केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम और अन्य नदियों के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के माध्यम से देश में नदियों के चिन्हित क्षेत्रों में प्रदूषण उपशमन के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को संपूरित करता रहा है। एनआरसीपी के अंतर्गत, पंजाब में सतलुज और व्यास नदियों के संरक्षण के लिए 717.32 करोड़ रुपए की कुल लागत से प्रदूषण उपशमन स्कीमें स्वीकृत की गई थीं और अब तक 648 एमएलडी की सीवेज शोधन क्षमता सृजित की गई है।

(ख): पंजाब राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि राज्य में सीवेज शोधन क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से कुल 256 एमएलडी क्षमता के 54 सीवेज शोधन संयंत्र कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित 99 सीवेज शोधन संयंत्रों में से 247 एमएलडी क्षमता के 45 सीवेज शोधन संयंत्रों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किए जाने अथवा निविदा प्रक्रियाधीन होना सूचित किया गया है।

(ग) से (ङ): देश में नदियां मुख्यत शहरों/कस्बों से अशोधित अथवा आंशिक रूप से शोधित सीवेज के डिस्चार्ज और उनके संबंधित कैचमेंट क्षेत्रों में औद्योगिक बहिस्त्रावों, सीवेज/बहिस्त्राव शोधन संयंत्रों के प्रचालन और रखरखाव संबंधी समस्याओं, कृषि रन-ऑफ, ठोस अपशिष्टों की डम्पिंग, विलयन की कमी और प्रदूषण के अन्य गैर-बिन्दु स्त्रोतों के कारण प्रदूषित होती हैं।

औद्योगिक बहिस्त्रावों के डिस्चार्ज के मामले में सीपीसीबी द्वारा सूचित किया गया है कि अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई) की नियमित मॉनीटरिंग की जा रही है। मेरठ में 64 अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग थे, जिनमें से 4 हिंडन नदी के कैचमेंट क्षेत्र में हैं जबकि 60 काली पूर्व नदी के कैचमेंट क्षेत्र में हैं। इन 64 में से 17 स्वयं बंद हो गए। चालू 47 अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों में से 42 डिस्चार्ज मानदंडों का अनुपालन कर रहे हैं। विनियामक निकाय अनुपालन न करने वाले अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करते हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य में मेरठ शहर से घरेलू अपशिष्ट जल के निपटान के लिए, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत काली पूर्व नदी के प्रदूषण उपशमन के लिए 690.71 करोड़ रुपये की लागत से सीवेज के अवरोधन और डायवर्जन तथा 220 एमएलडी के एसटीपी की स्थापना के लिए एक परियोजना को स्वीकृति दी है।

*****